न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : मनोज गोयल,
अध्यक्ष

निगरानी प्रकरण कमांक 783–पीबीआर/2017 विरूद्ध आदेश दिनांक 21–2–2017 पारित द्वारा न्यायालय अपर आयुक्त ग्वालियर संभाग ग्वालियर, प्रकरण कमांक 449/2015–16/अपील

....

संजय पुत्र श्री कालीचरण गुप्ता
निवासी अन्नापूर्णा कॉलोनी साक्षी हास्पिटल
के पास गुना जिला गुना

.... आवेदक

विरूद्ध

1–कालीचरण पुत्र श्री धनश्याम गुप्ता
2–गोमतीबाई पत्नी श्री कालीचरण गुप्ता
3–रामकुमार पुत्र श्री कालीचरण गुप्ता
4–प्रीति पुत्री श्री कालीचरण गुप्ता
निवासीगण अन्नापूर्णा कॉलोनी साक्षी हास्पिटल
के पास गुना जिला गुना
5–अनिल कुमार पुत्र श्री कालीचरण गुप्ता
6–श्याम कुमार पुत्र श्री कालीचरण गुप्ता
निवासीगण विनोद खेरा की दुकान मानिक चौक झॉसी उ0प्र0
7–अशोक कुमार पुत्र श्री कालीचरण गुप्ता
निवासी कुलपहाड जिला महोबा उ0प्र0
8–अरविन्द कुमार पुत्र कालीचरण गुप्ता
निवासी दलवीर कॉलोनी गुना
9–अमिता गुप्ता पत्नी अशोक कुमार
निवासी वीरसिंह पुर तहसील व जिला उमरिया

.... अनावेदकगण

....

श्री अशोक भार्गव, अभिभाषक–आवेदक
श्री अजय रघुवंशी, अभिभाषकगण–अनावेदकगण

....

:: आदेश ::

(आज दिनांक 13/12/17 को पारित)

यह निगरानी आवेदक द्वारा मध्यप्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संक्षेप में केवल "संहिता" कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर आयुक्त ग्वालियर संभाग ग्वालियर द्वारा पारित आदेश दिनांक 21–2–2017 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण के तथ्य सन्क्षेप में इस प्रकार है कि अनावेदक कमांक 1 द्वारा तहसीलदार गुना के समक्ष उसके स्वत्व व स्वामित्व की ग्राम तरावटा स्थित भूमि सर्वे कमांक 252, 367/1, 367/2, 367/3 एवं 376 कुल रकबा 6.999 हेक्टेयर के बटवारे हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया । तहसीलदार द्वारा प्रकरण दर्ज किया जाकर दिनांक 13–2–14 को बटवारा आदेश पारित किया गया । तहसीलदार के आदेश के विरूद्ध प्रथम अपील अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किये जाने पर अनुविभागीय अधिकारी द्वारा दिनांक 16–5–16 को आदेश पारित कर अपील निरस्त की गई । अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरूद्ध द्वितीय अपील अपर आयुक्त के समक्ष प्रस्तुत किये जाने पर अपर आयुक्त द्वारा दिनांक 21–2–17 को आदेश पारित कर अपील निरस्त की गई । अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि बटवारे की कार्यवाही में सभी हितबद्ध पक्षकारों को सूचना एवं सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया है । यह भी कहा गया कि संहिता की धारा 178 के अन्तर्गत बने बटवारा नियमों का बिना पालन किये तहसीलदार द्वारा बटवारा आदेश पारित किया गया है जिसकी पुष्टि करने में दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा त्रुटि की गई है । तर्क में यह भी कहा गया कि तहसीलदार द्वारा असमान बटवारा किया गया है । यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया कि तहसीलदार द्वारा संहिता की धारा 178 के अन्तर्गत आदेश पारित नहीं कर हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 8 व 164 पर केंद्रित होकर आदेश पारित किया गया है जो कि वर्तमान में आई साक्ष्य के

विपरीत है । तर्क के समर्थन में 2003(3) एमपीएलजे 576 एवं 2008 आरएन 103 के न्यायदृष्टांत प्रस्तुत किये गये ।

4/ अनावेदकगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि तहसीलदार द्वारा पारित बटवारा आदेश से केवल आवेदक को आपत्ति है अन्य सहखातेदारों को नहीं । यह भी कहा गया कि उभयपक्ष के मध्य कोई अनुबंध पत्र निष्पादित नहीं हुआ था कि आवेदक को 7,00,000/– रुपये दिये जायेंगे । केवल एक पारिवारिक व्यवस्था पत्र था । तर्क में यह भी कहा गया कि प्रश्नाधीन भूमि का भूमिस्वामी द्वारा बटवारा किया गया है अतः उसके पुत्र का आपत्ति करने का अधिकार नहीं है । यह भी कहा गया कि प्रश्नाधीन भूमि भूमिस्वामी की स्वअर्जित संपत्ति है उसे बटवारा करने का पूर्ण अधिकार है । अंत में तर्क प्रस्तुत किया गया कि तीनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा समवर्ती निष्कर्ष निकाले गये है जिसमें हस्तक्षेप का कोई आधार इस निगरानी में नहीं है । तर्क के समर्थन में 1996 आरएन 292 व 2012 एमपीएलजे 713 के न्यायदृष्टांत प्रस्तुत किये गये ।

5/ उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकों द्वारा प्रस्तुत तर्को के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया। तहसीलदार के प्रकरण को देखने से स्पष्ट है कि तहसीलदार द्वारा बटवारे की कार्यवाही में आवेदक सहित सभी अन्य वारिसों को सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया है । संहिता की धारा 178 के अन्तर्गत यदि पिता भी अपने जीवनकाल में बटवारा करता है तब भी उसमें बटवारा नियमों का पालन करने एवं सभी पक्ष को सुनवाई का अवसर दिया जाना आवश्यक है । अधीनस्थ दोनों अपीलीय न्यायालयों द्वारा भी आवेदक के अधिकारों की अनदेखी की गई है । अतः तीनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित आदेश स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त ग्वालियर संभाग ग्वालियर द्वारा पारित आदेश दिनांक 21–2–2017 एवं अनुविभागीय अधिकारी गुना 16–5–2016 तहसीलदार गुना द्वारा पारित आदेश दिनांक 13–12–2014 निरस्त किये जाकर प्रकरण तहसीलदार को इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया जाता है

कि मृतक भूमिस्वामी के सभी वारिसों को सूचना एवं सुनवाई का अवसर दिया जाकर संहिता की धारा 178 में बने बटवारा नियमों के अन्तर्गत प्रकरण का निराकरण करें।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश,
ग्वालियर